



भारत

कंट्रीफैक् टशीट (देशकेतथ्योपरएकनजर) 2025

Funded by:



Federal Office  
for Migration  
and Refugees



# प्रकाशन

# विषय सूची

## International Organization For Migration (IOM) Germany

Charlottenstraße 68  
10117 Berlin  
Germany  
T. +49 911 43 000  
F. +49 911 43 00 260

iom-germany@iom.int  
<https://germany.iom.int/>

This project is funded by the German Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).



आईओएम ने बड़ी देखभाल के साथ हर सूचना एकत्रित की है। आईओएम अपनेसर्वोत्तम ज्ञान और सभी वर्वर्वेक के साथ ये जानकारी प्रदान करता है। [फफर भी] आईओएम अपने दूरवारा प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के ललए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। [इसके अलारवा] आईओएम फकरी भी ननष्करण या फकरी भी पररणाम के ललएउत्तरदायी नहीं होगा] जो आईओएम दूरवारा प्रदान की गई जानकारी से स्वीचा गया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया जमकरी से सवैच्छकि

सु वदेवापसी और पुनर्सकमेकन वापसी के सूचना पोटकपर जाँ:

<https://www.returningfromgermany.de/en/countries/india>

Published: August 2025 - Please note that information provided herein may be outdated due to dynamic developments in the country.

1. स्वास्थ्य सेवा

2. रूम बाजार

3. आवास

4. समाज कल्याण

5. वशक्षा

6. बच्चे

7. संपर्क

8. एक नजर मे

# 1 स्वास्थ्य सेवा

## स्वास्थ्य सेवा के बारे में सामान्य जानकारी

भारत की स्वासध्य सेवा प्रणाली की संरचना बहुआर्थ है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने शामिल हैं। ये विभिन्न स्वामित्व संरचनाओं के भीतर विभिन्न चकितिसा प्रणालियों और सुविधाओं का अभ्यास करते हैं। भारतीय संविधान के तहत, सार्वजनिक स्वासध्य और अस्पताल सहित स्वासध्य सेवा के अधिकांश पहलुओं पर अलग-अलग राज्यों को प्राथमिक अधिकार दिया गया है सार्वजनिक स्वासध्य सेवाओं की एक खास खबी यह है कि जिन स्वासध्य सेवा कारब्यकरम हैं, जिनमें से अधिकांश निवारक और प्रोत्साहक प्रक्रूटि के हैं, जैसे चयननित रोग नियंत्रण कारब्यकरम, परवार नियोजन और मातृ एवं शाशु श्वसा स्वासध्य कारब्यकरम (ग्रन्थनीरोधक, परतीरिक्षण, परस्व-पूर्व सेवा आदि)। कई अलग-अलग प्रीमियम भुगतान के साथ विभिन्न नियंत्रित और सार्वजनिक कंपनियों को माध्यम से आम आदादि के लिए स्वासध्य बीमा उपलब्ध है। कुछ प्रमुख स्वासध्य बीमा प्रदाताएँ हैं: जनरल इंश्योरेंस, भारती एप्स, एचडीएफसी एप्रो बजाज, रेलगेयर, अपीलो मध्यनिधि, नयू इंडिया एश्योरेंस से मैं कैस बूपा आदि स्वासध्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कारब्यकरमों की सची यहाँ मौलिक सकता है:

<https://www.mohfw.gov.in/>

इन बीमा परदाताओं की वेबसाइटों पर अधिक जानकारी मिल सकती है। लाभः सरकारी अस्पताल और परायथम कि स्वास्थ्य के दूर मुक्त या न्यूनतम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवा परदान करते हैं। ऐसे कई धरमास्थ संस्थान भी हैं जो कफियती उपचार परदान करते हैं। नजी स्वास्थ्य सेवा कषे तरक तुलनात्मक रूप से महगा है, और बजाय बीमा के माध्यम से अधिकांश स्वास्थ्य सेवा का खर्च मरीजों और उनके परवारों को उठाना पड़ता है। आम तौर पर इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है। लागतः भारत में मरीजों की सारवजनिक अस्पतालों में रियायती स्वास्थ्य सेवा तक पैंच होती है। हालांकि, दिवाएं बैंहद मामूली दरों पर उपलब्ध हैं और अक्सर व्यक्तिगत रूप से खरीदनी पड़ती हैं। पैंचः सरकारी की समाज मुक्त सारद्वधीम कि स्वास्थ्य बीमा योजनामें केवल गरीबी रखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है। [http://www.rsbyp.gov.in/about\\_rsbyp.aspx](http://www.rsbyp.gov.in/about_rsbyp.aspx)

आयुष्मान भारत PM-JAY वह सवास्थ्य बीमा योजना है, जो 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परवारों को द्रवतीयक और तृतीयक देखभाल के लिए असपाताल में भरती होने पर परतपरिवार परतविष 5 लाख रुपये की सवास्थ्य

## 1 स्वास्थ्य सेवा

बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। <https://pmjay.gov.in/about/pmjay>

चकितिसा सूबधियों और चकिस्कियों की उपलब्धता

सारव. जनकि सव॑ साथ् य् केंद्र (PHC) और उप केंद्र रा राज्य के सव॑ प्रतिवाली गर. प्रामाणीन सव॑ साथ् य् सव॑ धिएँ हैं; जो भारत में सारव. जनकि सव॑ साथ् य् पर. पाली की सबसे बुनु यादी इकाई भी हैं य वाप् करपू से भारत के सभी गाँवों के पास ये कल्पनिक उपलब्ध हैं ये देश में सरकार दव्. रा वतित पोषित सारव. जनकि सव॑ साथ् य् पर. पाली का भाग हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यकी 2021-2022 के अनुसार, मार्च, 2022 तक, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करमशः 157935 और 3894 उप केंद्र (एससी), 24935 और 6118 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 5480 और 584 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीपीएचसी) हैं। इन PHC का यथान् कछु वाशेष चीजों पर केंद्र र ति है जिनमें राशि पर. तरिक्षण कारय कर. म, महामारी रोधी कारय कर. म, जनम् नियंत्र. र ण कारय कर. म, गरभ. वासथ् । से सब ध ति सव॑ साथ् य् से वाओं और आपात सथ् तियाँ शामलि हैं भारत में 2022 के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लए 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) होंगे। भारत में अभी तक 1,59,675 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) संचालित किए गए हैं, जिनमें 1,20,581 उप-स्वास्थ्य केंद्र स्तर एवी-एचडबलयूसी, 23,501 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एवी-एचडबलयूसी और 7,562 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर एवी-एचडबलयूसी शामलिहैं। (Source - AB-HWC Portal, data as on May 2023) AB-HWC की विस्तृत् से वाओं की शरू खला पर. दान करने के लए परकलप् ना की गई है जिनमें पर. तरिक्षण सहित मातृ और राशि सु. सव॑ साथ् य् और संचारी रोगों के लए पहले से ही पर. दान की जा रही से वाओं की अलावा असर्वारी रोगों की देखभाल के साथ-साथ रोकथाम और योग जैसी सव॑ साथ् य् सव॑ रथ् न और कलय. एण गतिविधियाँ शामलि हैं PM-JAY के तहत लाभारथी कोटडि-19 की मफू त जाँच और इलाज के लए भी पातर हैं लाभारथी, PM-JAY के पैनल वाले असप. तालों के माध्यम से निजी पर. योगशालाओं में भी जाँच करवा सकते हैं शहरी कष्टे र रोमें बनु यादी सव॑ साथ् य् इकाई के रपू में सामदू यिक सव॑ साथ् य् केंद्र र भी उपलब्ध हैं इनका वित्त तपोषण राज्य सरकारो दव्. रा किया जाता है और इनके दव्. रा पर. प्राथमिक सव॑ साथ् य् केंद्र र रोमें से भेजे गए मरीजों को सव॑ वीकार किया जाता है पर. तय के सामदू यिक सव॑ साथ्

ये केंद्र शहरी कष्टतरों में 120,000 लोगों या दर दराज के कष्टतरों में 80,000 लोगों की सेवा करता है। इन एजेंसियों के मरीजों को आगे के इलाज के लिए सामान्य असपृष्ठ तालों में स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस प्रकार, CHC पहली रेफरल इकाइयां या एफआयू भी हैं। जनिके लिए प्रस्तु दिखभाल, नवजात/बाल देखभाल, और सप्तप्राप्ति के हर दिन हर घट्टे रक्त भड़कण क्षमता रखना। आवश्यक हैं 2017 से देश में 5,624 CHC काम कर रहे हैं।

<https://vikaspedia.in/health/health-directory/rural-health-care-system-in-india>

भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जून 2024 तक 518 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लीनिक (महिला क्लीनिक), 174 एलोपैथिक डिसप्यूटेशन, 60 प्राथमिक शाहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूचसी), 30 पॉलीक्लीनिक और 39 मलटी-स्पेशलिटी अस्पताल हैं। क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कारबंग करते हैं और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की सूची यहाँ पर पाया जा सकता है - [https://health.delhi.gov.in/sites/default/files/mby\\_wise\\_status\\_of\\_delhi\\_govt\\_allopathic\\_dispensaries\\_health\\_centres.pdf](https://health.delhi.gov.in/sites/default/files/mby_wise_status_of_delhi_govt_allopathic_dispensaries_health_centres.pdf)

## चकितिसा सुवधाओं में भरती (एडमशिन)

सारवजनिक/नन्जी असपताल में किसी भी इलाज की हच्छा रखने वाले मरीज़ के लिए प्रारंभ में संबंधित चकितिसा व्यवसायीया या विशेषज्ञ से परामरण करना आवश्यक होता है। चकितिस्की की सफिरारिश पर परवार या मरीज़ अपना संबंधित असपताल के भरतीविभाग में पंजीकरण करवाता है और आगे के इलाज के लिए भरती का अनुरोध प्रस्तुत करता है। भरती की प्रकरणीया में आम तौर पर रोगी का चकितिसीय अटीत, असपताल में भरती के लिए चकितिस्की की सफिरारिश और उचित शुल्क सहित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना शामिल होता है जिसे इलाज की प्रकृति के आधार पर जमा करना होता है जिसके लिए रोगी की सफिरारिश की गई होती है। असपताल में रोगी की भरती से पहले भरे जाने वाले प्रवेश दस्तावेज़ों को पूरा करने के बाद इलाज के लिए लागू शुल्क जमा करना होता है जिसमें कमरे का करिया और शलय चकितिसा उपकरण, चकितिसीय जाँचों और नरिधारत दवाओं से संबंधित अन्य शुल्क शामिल हैं। दवा की उपलब्धता और लागत

भारत में फारमेसियाँ बहुत अधिक सिंखिया में हैं और यहाँ तक कि दूर स्थिति कसबों में भी मालिं सकती है। भारत जेनेरेटिव दवाओं का सबसे बड़ा मैन्युफॉर्मर कंपनी है और आवश्यक दवाओं की कीमत सरकार दवारा नियंत्रित की जाती है। जेनेरेटिव दवाएं, कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार दवारा संचालित परधानमंत्री भारतीय जन औषधिकंदों से भी खरीदी जा सकती है। इन कंदों की सूची यहाँ मालिं सकती है: <https://janaushadhi.gov.in/productportfolio/ProductmrpList>

स्वदेश लौटने वालों के लिए प्रवेश मार्ग

पात्रता और आवश्यकताएँ: विभिन्न नजी और सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से परीमियम के भुगतान पर सामान्य आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। परीमियमल्यान के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। सरकारी समाज योग्य सारख भौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है: [http://www.rsbyp.gov.in/about\\_rsbyp.aspx](http://www.rsbyp.gov.in/about_rsbyp.aspx)

**दस्तावेज या कागजातः** आम तौर पर, इन सुवधाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस) की आवश्यकता पड़ सकती है।




Photo: IOM/ Muse Mohammed

### रूम बाजार पर सामान्य जानकारी

वरश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में रूम बल भागीदारी दर लगभग 55.8% (2024) है। अनौपचारक क्षेत्रक में वनयोवज्ञत अवधकांश रूमबल वनजी क्षेत्र द्वारा वनयोवज्ञत है। भारत में काफी बड़ा रूमबल देखते हुए, पुरुष और महिला भागीदारी में अभी भी स्पष्ट असमानता है। 74.6% पुरुष

भागीदारी दर के मुकाबले महिला भागीदारी दर 22% (2023) है। <https://data.worldbank.org/country/india>

वरश्व बैंक के अनुसार 2023 में भारत की प्रवत व्यवायिका (नाममात्र) 2,484.8 डॉलर थीं, जबकक क्रय शवसिमानता (पीपीपी) आधार पर इसकी प्रवत व्यवायिका 7762 अमेरिकी डॉलर (2023) थी। <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IN>

भारत में 593,729,164 वनयोवज्ञत लोगों (2023) के साथ दूनयना का दूसरा सबसे बड़ा कायवबल है। भारत में सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत है। <https://www.mospi.gov.in/>

### रोजगार तलाशना

सरकार ने वववभन्न क्षेत्रकों में उपयुक्तमीदवारों की भर्तीसुगम बनाने के लाए पूरे देश में 900 से अवधकरोजगार एजेंवसयाँ स् थावपत की है। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कायवलयों में अपना पंजीकरण कर सकते हैं और जैसे ही सरकारी क्षेत्रक में कोई ररवडिनके वांवछत प्रोफाइल से लेखाएगी, उन्हें सूचत ककया जाएगा।

क्षेत्र प्रमुख ऑनलाइन रोजगार पोटबल है:

[www.naukri.com](http://www.naukri.com), [www.monsterindia.com](http://www.monsterindia.com), [www.timesjob.com](http://www.timesjob.com), [www.placementindia.com](http://www.placementindia.com), [www.jobsadhead.com](http://www.jobsadhead.com), [https://www.indeed.co.in/](https://www.indeed.co.in)

महात्मागांधीराष्ट्रीयगरामीणरोजगारगारटी अवधनयम (MGNREGA): मनरेगा वह भारतीय रोजगार गारटी योजना है, जो हर ववत्तीय वषव में सौ कदन रोजगार की कानूनी गारटी प्रदान करता है। यह प्रवत कदन सांबवधक न्यूनतम मजदूरी पर साववजनक कायव से संबवधत अकुशल शारीरक काम करने के इच्छक ककसी भी ग्रामीण परवार के वयसक सदस्यों से संबवधत है।

उदयोग आयोग योवन वनदेशालय वववभन्न राज्यों में वे नोडल एजेंवसयाँ हैं जो संबवधत राज्य में औद्योवगक इकाई शुरू

करने में नए उद्योवमयों की सहायता और मागवदशवन करती है। राज्य सरकार के रोजगार वनदेशालय की सूची <https://dgt.gov.in/> पर वमल सकती है।

### बेरोजगारी सहायता

रूम मंत्रालय के रोजगार और प्रवशक्षण महावनदेशालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार सेवा या रोजगार कायावलय एजेंसी काम के अवसरों की मांग और आपूरत का बेहतर वमलान प्रदान करती है। रोजगार चाहने वाले लोग इन रोजगार कायावलयों में अपना पंजीकरण करते हैं और जैसे ही सरकारी सेक्टर में कोई भी ररवडिनके वांवछत प्रोफाइल से मेल खाती है, उन्हें अवधसूचत ककया जाता है। भारत में कुछ राज्य सरकारे रोजगार कायावलयों में पंजीकृत व्यवयियों को तीन वषों से अवधक समय तक बेरोजगारी सहायता प्रदान करती है। अवधक जानकारी के वलए संबवधत स्थानीय वजला आयुधिया रोजगार कायावलयों से संपकव ककया जाना चाहए। रोजगार कायावलयों द्वारा आम तौर पर प्रदान की जाने वाली सहायता परामशव के माध्यम से सूचनात्मक होती है जो रोजगार की उपलब्धता और बाजार की मांग के अनुसार कौशल संबवधन से संबवधत आवश्यक जानकारी के साथ उमसीदवारों की सहायता करने का कायव करते हैं। आगे की वशक्षण और प्रवशक्षण

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग अपनी बुवनयादी वशक्षण के अलावा आगे की वशक्षण या कौशल प्रवशक्षण तक पहुँच बना सकते हैं। इसके वलए उन्हें वववभन्न प्रकार के कौशल पाठ्यक्रमों के बीच चुनाव करना होगा।

भारत सरकार के कौशल एवं उद्योवमता मंत्रालय के ततवावधान में ये कौशल प्रदान ककए जाते हैं। स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों को यहाँ: <https://www.skill-lindia.gov.in/> उपयुक्त्यक्त्म और संबवधत पंजीकरण प्रावधकरण वमल सकता है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग मुक्त वशक्षण संस्थानों के माध्यम से आगे की वशक्षण तक पहुँच बना सकते हैं या अपनी बुवनयादी वशक्षण पूरी कर सकते हैं।

इसके बारे में ववस्तुत जानकारी अवखल भारतीय मुक्त वशक्षण परवषद (AICOE; [www.aicoe.in](http://www.aicoe.in)) या नेशनल इंसटीब्यूट ऑफ ओपन स्कूलग ([www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in)) में उपलब्ध है।

स्वदेश वापस लौटने वाले लोग वडस्टेंस लरननग (दूरस् थ वशक्षण) प्रदान करने वाले वववभन्न न संस्थानों या ववशववद्यालयों से चुनाव कर सकते हैं, उदाहरण के वलए, इंकदरा गाँधीराष्ट्रीय मुक्त वशव ववद्यालय ([www.ignou.ac.in](http://www.ignou.ac.in))।



Photo: Unsplash 2018/ Ibrahim Rifath

### 3 आवास

#### आवास संबंधी सामान्य जानकारी

प्रमुख शहरों में संपवत्त की कीमतें अवधकांश वै वशवक शहरों के बराबर हैं। गांवों की तुलना में शहरों में ककराया दरें अपेक्षाकृत अवधक हैं।

भारत के नई कदलली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक औसत बेडरूम अपाटवर्मेट परलगभग INR 20,000 - 35,000 रुपये का खचव आता है। दो या तीन बेडरूम वाले अपाटवर्मेट का खचव घर की जगह और शहर की आधार पर 45,000 रुपये लेकर 90,000 रुपये की बीच पड़ता है। जब आप कसबों और गाँवों का रूबरु करते हैं तो ये कीमतें अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाती हैं। सुवकवसत बाजार की कीमती और लंबे समय से चली आ रही आवास की कमी के कारण भारत में घर की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में 2024 में 10 मिलियन घरों की माँग होने का अनुमान था।

#### आवास की तलाश करना

अवधकांश घर अचल संपवत्त एजेंसियों के माध्यम से ककराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आम तौर पर असंगठित होते हैं और छोटी से इलाकों का कवर करते हैं। आमतौर पर घर के मालक द्वारा एक महीने का ककराया जमानत के रूप में रफरफेबल अवगरम के रूप में वलया जाता है। ककराये द्वारा का पुलस सत्यापन अवनवायव है लेककन प्रमुख शहरों को छोड़कर छोटे शहरों और गाँवों में मुशकल से ही सत् यापन ककया जाता है। वववभन्न वेबसाइटें भारत में फैलैट खरीदने या ककराए पर लेने का ववकलप प्रदान करती हैं: [www.99acres.com](http://www.99acres.com), [www.housing.com](http://www.housing.com) [www.magicbricks.com](http://www.magicbricks.com)

#### आवास के वलए सामावजक अनुदान

सरकार कई आवास योजनाएँ चला रही है लेककन इनमें से ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी तक सीमत है। आम तौर पर इन योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा लागू ककया जाता है। अवधक जानकारी <https://www.india.gov.in/topics/housing> पर वमल सकती है।

#### स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए प्रवेश मागव

स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के वलए कुछ कदनों के वलए अस्थायी आवास सहायता प्रदान की जाती है वजसमें स्वदेश वापस लौटने वाले को उवचव स्वचव पर ककराये के घर या गेस्ट हाउस में रखा जाता है वजसका खचव आम तौर पर वापस भेजने वाले देश द्वारा उठाया जाता है। इस आवास का खचव आवास के प्रकार और जगह पर वनभवर करता है। आम तौर पर, एयरकंडीशवनग के बवना एकल आवास वाले होटल के कमरे का खचव प्रवत रात 4,000 रुपये के आसपास और एयरकंडीशवनग के साथ 7,000 रुपये के आसपास आता है। घर/गेस्ट हाउस का ककराया आकार और जगह पर भी वनभवर करता है। आमतौर पर, दो बेडरूम, एक बाथरूम और एक रसोई वाले घर का खचव 15,000 से 20,000 प्रवत माह की बीच आता है। होटल में ठहरने के वलए स्वदेश वापस लौटने वाले की अपना पहचान प्रमाण कदखाना होता है। घर में रहने के वलए पहचान और पुलस सत् यापन की जरूर होती है। 20.11.2024 तक, सरकार के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतरगत देश भर में कुल 1,994 बेघर आश्रय सथल कार्यरत हैं, जिनकी कषमता 1,16,556 है। इसके अतिरिक्त, 700 से अधिक गैर-NULM आश्रय सथल कार्यरत हैं, जिनकी कषमता 24,757 है। शहरी क्षेत्रों में बेघर आश्रय सथलों की सूची यहाँ प्राप्त की जा सकती है: [www.sansad.in](http://www.sansad.in) दलिली में स्थायी और अस्थायी आश्रय सथलों की सूची यहाँ प्राप्त की जा सकती है: [https://delhishelter-board.in/main/?page\\_id=483](http://delhishelter-board.in/main/?page_id=483)

दलिली में 13 सरकारी मान्यता प्राप्त आश्रय गृह भी हैं, जिन्हें एनजीओ द्वारा सचालति किया जाता है और जो बेघर एवं असहाय महिलाओं के लाए स्थापति किए गए हैं। दलिली में महिलाओं के लाए 4 सरकारी सचालति शॉर्ट स्टेट होम भी कार्यरत हैं। पूरी सूची यहाँ उपलब्ध है: [https://wcd.delhi.gov.in/wcd/list-short-stay-institutions-delhi-women](http://wcd.delhi.gov.in/wcd/list-short-stay-institutions-delhi-women)

की सथापना करके एक पहल की है। वजला उपायुक्ति अधीन यह टास्कफोसव बनाया गया था। रैन बसेरों के वलए 24x7 हेल्पलाइन के साथ साथ 22 अस्थायी रैन बसेरे स्थावपत ककए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से इस मसले और ववशेष आवश्यकताओं के बारे में अवधक गहराई से जानने के बाद स्थायी आरूपों का वनमावण करना है।

मुंबई में, उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा पाररत मानकों और राष्ट्रीय शहरी आजीवका वमशन शहरी बेघरों के वलए योजना (एनयूएलएम एसयूएच) के कदशा वनदेशों को पूरा करने वाले आरूपों की सख्त आवश्यकता है। इन कदशा वनदेशों के अनुसार प्रवत दस लाख बेघर लोगों पर आरूप स् थल होना चावहए। इसवलए सवा करोड़ी मुंबई की आबादी के वलए कम से कम 12 रैन बसेरों की जरूरत है। इन आरूप स् थलों की कमी से मौत और बीमारराया बढ़ी है। कनावटक में, सरकार ने 8 नगर वनगमों: बीबीएमपी, बेलगाम, बेलतारी, दावनगेरे, गुलबगाव, हुबली धारवाड़, मंगलौर और मैसूर

की सथापना करके एक पहल की है। वजला उपायुक्ति अधीन यह टास्कफोसव बनाया गया था। रैन बसेरों के वलए 24x7 हेल्पलाइन के साथ साथ 22 अस्थायी रैन बसेरे स्थावपत ककए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से इस मसले और ववशेष आवश्यकताओं के बारे में अवधक गहराई से जानने के बाद स्थायी आरूपों का वनमावण करना है।




Photo: Unsplash 2017/ Pop & Zebra

## 4 समाज कल्याण

### समाज कल्याण व्यवस्था

राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारें कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और कायवक्रम उपलब्ध कराती हैं। हालांकि, ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और कायवक्रम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी जैसे कक्ष व वर्चुअल महों पर केंद्रित हैं। इन कायवक्रमों को आम तौर पर गाँव सतर की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा लागू किया जाता है वजन् हैं पंचायतें कहा जाता है। अवधक जानकारी के बलए वजला आपु की पंचायत कायावलय से संपर्क करें या राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइट देखें। लाभ: लाभववभन्न उपलब्ध योजनाओं के तहत आवेदकों की पात्रता पर वनभवर करते हैं। लागत: लागत आवेदकों की पात्रता के आधार पर उपलब्ध सामाजिक योजनाओं के सापेक्ष होती है।

### पेंशन प्रणाली

कमवचारी पेंशन योजना अवनवायव है और रोजगार की

### स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के बलए प्रवेश मागव

पात्रता और आवश्यकताएँ: ववभन्न उपयोगी योजनाएँ होने से पात्रता आरतथक वस्थवत, आयु, अल्पस्थायक या जावतगत वस्थवत, वलग आकद पर वनभवर करती है।

पंजीकरण प्रक्रिया: संवंधवत पंजीकरण के बारे में अवधक जानकारी के बलए स्थानीय वजला कायावलय या पंचायत से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज़: आधार काडव, आय प्रमाणपत्र, मतदाता पहचानपत्र, पैन काडव, राशन काडव, पासपोटव आकद।

वस्थवत से जुड़ी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायवक्रम में केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी या शारीरिक रूप से ववकलांग लोगों को शावमल किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैवच्छक, परभववस्थत अंशदान सेवावनवृत्तत बचत योजना है वजसे अंशदाताओं को समथव बनाने के बलए तैयार किया गया है। यह उनके कामकाजी जीवन के दौरान व्यववस्थत बचत के माध्यम से उनके भववष्य के बारे में बेहतरीन वनणवय लेने के बलए है। वषय 2009 से, एनपीएस स्वैवच्छक आधार पर असंगरठत क्षेत्र के कामगारों सवहत सभी नागरकों के बलए उपलब्ध है।

अवधक जानकारी वनमनवलवखत वेबसाइटों से वमल सकती है:

- <https://india.gov.in/spotlight/national-pension-system-retirement-plan-all>
- <https://npscra.nsdl.co.in/download/pdf/NPS%20Booklet.pdf>

लागत: रटयर I और रटयर II खातों में अंशदान करने के बलए, अंशदाता को NCIS (NPS अंशदान अनुदेश पची) फॉमव के साथ कक्षीय पीपीओपी एसपी में पंजीकरण के बलए आवेदन करते समय अपना पहला अंशदान (रटयर I के बलए न्यूनतम अंशदान 500 रुपये और रटयर II के बलए 1000 रुपये) करना होता है।

NPS अंशदाता को वनमनवलवखत शतों के अधीन अंशदान करना होता है:

- खाता खोलते समय न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 500 रुपये
- प्रवत वषव न्यूनतम अंशदान: 6,000 रुपये
- एक वषव में अंशदान की न्यूनतम संख्या: कोई अवधकतम सीमा अवनवायव नहीं की गई है और अंशदाता अपने अंशदान की आवृत्तत पर वनणवय ले सकते हैं।

रटयर II के बलए, न्यूनतम अंशदान आवश्यकताएँ हैं:

- खाता खोलते समय न्यूनतम अंशदान: 1000 रुपये
- प्रवत अंशदान न्यूनतम रावश: 250 रुपये
- परतये के ववततीय वषव के अंत में 2000 रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखें।

लाभ NPS एक पारदशी और लागत परभावी प्रणाली है वजसमें पेंशन अंशदान का पेंशन फंड योजनाओं में वनवेश किया जाता है। कमवचारी कदन प्रवतकदन के आधार पर वनवेश का मूल्य जान सकते हैं। सभी अंशदाताओं को जो काम करना होता है, वह है अपने नोडल कायावलय में खाता खोलना और स्थायी सेवावनवृत्तत खाता संख्या (PRAN) प्राप्त करना। प्रतये के कमवचारी की एक अवद्ववतय संख्या से पहचान होती है और उसके पास एक अलग पीपीआरएन होता है जो पोटेबल होता है यानी अगर कमवचारी का कक्षीय कायावलय में तबादला हो जाता है तो यह वही रहता है। एनपीएस का वववनयमन पेंशन वनवध वववनयमाक और ववकास प्रावधकरण करता है।

## 4 समाज कल्याण

### स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के बलए प्रवेश मागव

पवाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीपीओपी)/पवाइंट ऑफ प्रेजेंस सरतवस प्रोवाइंटर (पीपीओपी एसपी) को अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय 18 से 60 वषव की आयु के बीच के भारत के सभी नागरक एनपीएस में शावमल हो सकते हैं।

कोई भी व्यवविन्म नांककत प्रक्रिया का पालन करके एनपीएस में अंशदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है:

1. एनपीएस में स्थायी सेवावनवृत्तत खाता (PRA) (रटयर I और या रटयर II) खोलने के बलए पीपीओपी एसपी को अनय सहायक के वाईसी दस्तावेजों के साथ वववधत भरा हुआ यूपीएस एस1 फॉमव प्रस्तुत करें।

केवल रटयर II खाते के बलए, सक्कर्य रटयर I खाता रखने वाले व्यवकों संबद्ध पीपीओपी एसपी से संपर्क करना और एक नए ववडो में खुलने वाली यूपीएस एस1 फॉमव (रटयर II सक्कर्यण फॉमव) पीडीएफ काइल के साथ प्राप्त करना चाहए।

2. पीपीओपी एसपी दवारा फॉमव मान्य किया जाएगा और अंशदाता को एक पावती सख्त या प्रदान की जाएगी आवश्यक दस्तावेज़:- केवाईसी दस्तावेज़

### कमजोर या सुभेद्र्य समूह

कमजोर या सुभेद्र्य समूह (जैसे कवकलांग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग) अपनी संवेदनशीलता के आधार पर सरकारी योजनाओं के तहत वववभन्न लाभों के हकदार हैं। इसमें सरकारी नौकररयों में आरक्षण, ररयायती स्वास्थ्य सेवा सुववधाएँ और ररयायती राशन/साद्या सामग्री शावमल हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में अवधक जानकारी संबद्धत वजलावधकारी के कायावलय से उपलब्ध हो सकती है, उदाहरण के बलए:

वजला मवजस्ट्रेट का कायावलय नई कदलली, पुराना गांगी कॉलेज भवन, 24 राष्ट्रीय उदयान रोड, लाजपतनगर चतुर्थ, नई कदलली, कदलली, 110024; फोन: 011 2647 6402

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कायावलय मुंबई, पुराना कस्टम हाउस, शावहद भगत वसह मागव, फोटव, मुंबई, महाराष्ट्र, 400001; फोन: 022 2266 3453

वजला मवजस्ट्रेट (DM) कायावलय चेन्नई, 62 राजाजीसलाई चौथी मंवजल, चेन्नई, तवमलनाडु, 600001; फोन: 044 2522 8025

उपायुक्तायावलय (DC Office), वजला परशासवनक पररसर, होवशयारपुर, 146001, पंजाब; फोन: 01882220301



Photo: Unsplash 2016/ Abhas Mishra

### वशक्षा संबंधी सामान्य जानकारी

अवधकांश शहरों और कस्बों में सरकारी और वनजी, दोनों तरह के स्कूल हैं। हालांकि, वशक्षा पर होने वाले खच और उसकी गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। भारत के अवधकांश वहस्सों में शैक्षणिक सत्र जून / जुलाई में शुरू होता है। इसवलए, इच्छुक छात्रों को पहले से ही आवेदन करके रखना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल (ग्रेड 1 से 8) ज्यादातर गांवों में उपलब्ध है। हाईस्कूल की वशक्षा (ग्रेड 9 से 12) के वलए बच्चों को पास के गांव / कस्बे में जाना पड़ सकता है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के विवरण के वलए संबंधित वशक्षा राज्य बोर्डों से संपर्क करें। कॉलेज और विद्यावासायक प्रवशक्षण संस्थान ब्लॉक और वजला स्तर पर वस्थित हैं। विवरणवद्यालय (यूनिवर्सिटी) अवधकांश प्रमुख शहरों में वस्थित हैं। 789 विवरणवद्यालयों और 37,204 से अवधक संबंधित कॉलेजों में 20 विद्यालय से अवधक छात्रों के नामांकन के साथ, भारतीय उच्च वशक्षा एक बड़ी और जरूरी प्रणाली है। 60 विवरणवद्यालयों से संलग्न 66 संस्थानों के माध्यम से दूरस्थ वशक्षा भी उपलब्ध है। इसके अलावा 11 मुद्रित विवरणवद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी) भी वशक्षा प्रदान कर रहे हैं। सभी विवरणवद्यालयों, कॉलेजों, बोर्डों और विद्यावासायक प्रवशक्षण संस्थानों की जानकारी <https://mhrd.gov.in/institutions> पर प्राप्त की जा सकती है।

### प्रवेश:

प्रवेश के वलए, आम तौर पर वनमन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
- पासपोटव साइज फोटोग्राफ, माकवशीट और पास सरटटकफकेट
- जन्म विवरण का प्रमाण (आमतौर पर आपकी दसरी कक्षा की माकवशीट या पास सरटटकफकेट)
- वजसमें जन्म विवरण उत्पादक हो)
- स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र (वपछले स्कूल द्वारा जारी)
- अवधवास प्रमाण पत्र / आवासीय प्रमाण या प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र (यकद गहरा राज्य के बाहर के कॉलेज में आवेदन करना है), चररत प्रमाण पत्र (आमतौर पर आपकी वपछली संस्था से)
- अनुसूचित जावत / अनुसूचित जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के प्रमाण पत्र (यकद इन दूसरी वर्षों के

### वापसी करने वालों के वलए प्रवेश मागव

**पंजीकरण प्रक्रिया:** मीवडया और अखबार के माध्यम से हर वषत एक बार सावधानक और वनजी स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश की घोषणा की जाती है। वनमनवलवखत दस्तावेजों के साथ प्रवेश के वलए स्कूलों से सीधे संपर्क करका जा सकता है।

**आवश्यक दस्तावेज़:** बच्चे का पासपोटव आकार का एक फोटो, कक्षी मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या, एमसीडी या कक्षी अन्य स्थानीय विवरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रवत, वपछली उत्तीर्णव हुई कक्षा की माकव शीरि। विवरण प्रमाण के रूप में वनमनवलवखत दस्तावेजों में से कोई भी: माता-वपता के नाम पर जारी बीपीएल या राशन, वजसमें बच्चे का नाम हो।

**बच्चे या माता-वपता का अवधवास प्रमाण पत्र:**

वपता या माता का वोटर आईडी काडव।  
माता-वपता के नाम पर वबजली / एमटीएनएल लैंडलाइन / पानी का वबल।  
बच्चे या माता-वपता का आधार काडव।  
माता-वपता या बच्चे में से कक्षी के नाम का पासपोटव।  
माता-वपता का इराइवग लाइसेंस।  
जावत का प्रमाण पत्र (अनुसूचित जावत / अनुसूचित जनजावत / अन्य वपछड़ी जावत के मामले में)।  
ववकलांगता का प्रमाण पत्र।



Photo: Unsplash 2018/ Nikitha S

### बच्चों और वशशुओं की सामान्य वस्थवत

भारत में 472 वमवलयन बच्चे (1-17 वषव) हैं। यह देश में कुल जनसंख्या का 39% वहस्सा है (जनगणना 2011)।

उनमें से 30% से अवधक (लगभग 385 वमवलयन बच्चे) अत्यवधक गरीबी में रहते हैं, जो कक दवक्षण एवशया में सबसे अवधक संख्या है।

यूनेस्फ और वशशब बैंक:

[https://www.unicef.org/publications/files/Ending\\_Extreme\\_Poverty\\_A\\_Focus\\_on\\_Children\\_Oct\\_2016.pdf](https://www.unicef.org/publications/files/Ending_Extreme_Poverty_A_Focus_on_Children_Oct_2016.pdf)

अवधकार: भारतीय संववधान देशके नागरकों के रूपमें बच्चों को समान अवधकार प्रदान करता है। भारतने बाल अवधकारों पर संयुरिष्टर अवभसमय की भी प्रवष्ट की है। ववशेष रूप से बच्चों के वलए संवधानक गारंटी में सवम्मवलत हैं:

- 6-14 वषव आयु वगव के सभी बच्चों के वलए मुफ्त और अवनवायव प्राथवमक वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 21A)
- 14 वषव की आयु तक ककसी भी सवतरनाक रोज़गार से सुरक्षत रहने का अवधकार (अनुच्छेद 24)
- दृवयववहार और आरथक आवशयकतासे मजबूर होकर अपनी उम्र या शावकि अनुपयुवियवसाय में प्रवेश से संरक्षण का अवधकार (अनुच्छेद 39 (e))
- सवसथ तरीके से और सवतरंतरता व गररमा के साथ ववकास के समान अवसरों व सुववधाओं, और शोषण तथा नैवतक व भौवतक पररतयाग के ववरद्ध बचपन व युवावस्था की सुरक्षा की गारंटी का अवधकार (अनुच्छेद 39 (f))
- छह वषव की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को बचपन की देखभाल और वशक्षा का अवधकार (अनुच्छेद 45)

बच्चों की भलाई और उनके अवधकारों के वलए कायव करने वाले (गैर-) सरकारी सकक्रयक

- चाइल्डलाइन इंवडया फाउंडेशन: चाइल्डलाइन सहयोग और सहायता की आवशयकता वाले बच्चों के वलए भारत की पहली 24-घंटे, वनीशुलक, आपातकालीन फोन सेवा है।
- हेलपलाइन नंबर: 1098
- अववसथवत (Location): अवखल भारतीय
- बाल अवधकार और आप (Child Rights and You - CRY): CRY एक प्रवसद्ध संगठन है, जो 1970 से बाल कल्याण की कदशा में काम कर रहा है - उन्हें वशवक्षत करने, बालरूप और बाल शोषण को खत्म करने में मदद कर रहा है।

- सथान: मुंबई, बैंगलोर, कदल्ली, चेन्नई और कोलकाता।
- सेव द वचलहून: ये बच्चों को गुणवत्तापूणव वशक्षा और स्वास्य सेवा, नुकसान और दृवयववहार से सुरक्षा, और आपात वस्थवत के दौरान जीवन रक्षक सहायता उपलब्ध कराने के बलए देश में दूरदूरतक वस्थत सथानों और शहरी क्षेत्रों में कायवक्रम चलाते हैं।

सथान: ये 19 भारतीय राज्यों में मौजूद हैं, और इनका मुख्यालय नई कदल्ली में है।



Photo: Unsplash 2017/ Lauren Joseph

## 7 संपक्त



आईओएम; यूनेस्को हाउस, ग्राउंड फ्लोर,  
1, सैन मार्टिन मागव, चाणक्य पुरी,  
नई कदल्ली -110012 फोन- + 91 11  
24100026, iomnewdelhi@iom.int

यूनेस्को; नई कदल्ली क्लस्टर कायवलय,  
1, सैन मार्टिन मागव, चाणक्य पुरी, नई  
कदल्ली, कदल्ली 110021; फोन: 011  
2611 1873

संयुक्त राष्ट्र ववकास कायवक्रम; जोसेफ  
स्टीन लेन, लोधी गाडवन, 55 लोधी  
एसटेट, नई कदल्ली, कदल्ली 110003;  
दरभाष: 011 4653 2333; इंटरनेट:  
[www.in.undp.org](http://www.in.undp.org)

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूवनसेफ); 73,  
लोधी एसटेट, लोधी गाडवन के पास, नई  
कदल्ली, 110003; दरभाष: 011 2469  
0401; इंटरनेट: [www.unicef.in](http://www.unicef.in)

अंतराबद्धीय दृमक संगठन; इवडया  
है वबेट सेट, कोर 4B, तीसरी मवजल,  
लोधी रोड, नई कदल्ली, कदल्ली  
110003 Tel.: 011 2460 2101  
इंटरनेट: [www.ilo.org](http://www.ilo.org)

शरणारतथयों के वलए संयुक्त राष्ट्र के  
उच्चायु (UNHCR) का कायवलय;  
बी 2/16, वसत ववहार, नई कदल्ली,  
कदल्ली, 110057; दरभाष: 011 4353  
0444, इंटरनेट: <http://www.unhcr.org.in/>

संयुक्त राष्ट्र मवहला, 83, बलॉक सी,  
वडफें कॉलोनी, नई कदल्ली, कदल्ली  
110024, तेल.: 011 4045 2300,  
इंटरनेट: [www.india.unwomen.org](http://www.india.unwomen.org)

राष्ट्रीय कौशल ववकास पररषद,  
01-306, वल्डव माकव 1, वेस्ट ववग,  
एयरोवसटी, नई कदल्ली, कदल्ली  
110037, 011 4745 1600

बॉम्बे हॉवस्पटल एंड मेडिकल ररसचव  
सेट, 12, मरीन लाइन्स, मुंबई, 400  
020, भारत

लीलावती अस्पताल और अनुसंधान केंद्र,  
ए-791, बांद्रा राकले मेशन, बांद्रा पविमि,  
मुंबई, 400050, भारत

जसलोक हॉवस्पटल पंड ररसचव सेटर,  
15, डॉ देशमुख मागव, पेडर रोड, आईटी  
कॉलोनी, तारकदण्ड, मुंबई, महाराष्ट्र  
पी डी वहदजा अस्पताल, वीर सावरकर  
मागव, मावहम, मुंबई, 400016 भारत

कोककलाबेन धीरभाई अंबानी अस्पताल  
और चककतसा अनुसंधान केंद्र, राव  
साहेब अच्युतराव, पटवधवन मागव, चार  
बंगला, मुंबई 400053, भारत

सर गंगा राम अस्पताल मागव, रावजदर  
नगर, नई कदल्ली, कदल्ली, 110060,  
भारत

बीएलके सुपर स्पेशलटी अस्पताल, पुसा  
रोड, रावजदरनगर, नई कदल्ली, कदल्ली  
110005, भारत

इंद्रपरस्थ अपोलो अस्पताल, कदल्ली,  
कदल्ली मथुरा रोड, जसोला अपोलो  
मेट्रो स्टेशन के पास, सररता ववहार, नई  
कदल्ली, कदल्ली 110076, भारत

## 7 संपर्क

फोरेटटस असपताल, फोरेटटस असपताल,  
ए ब्लॉक, शालीमार वाग, नई कदल्ली,  
कदल्ली, 110088, भारत

आजाद फाउंडेशन, W-114, पहली  
मंवजल, ग्रेटर कैलाश II, नई कदल्ली  
110048; दूरभाष: +91 11 4060  
1878, ईमेल: azadfoundation@  
gmail.com; वेबसाइट: <http://www.azadfoundation.com/>

आसरा, आग्रहत सोसायटी, बी / 117, एल  
जे रोड, मादुगा (पविम), मुंबई, महाराष्ट्र  
- 400016, 022 24453857

इंटरनेशनल सेटर फॉर ररसचव ऑन  
ववमेन, सी - 59, साउथ एक्स पाटव II,  
ब्लॉक सी, साउथ एक्सटेशन II, कदल्ली  
110049, फोन: 011 46643333

सेव द वचल्ड्रन, बाल रक्षा भारत, पहली  
और दूसरी मंवजल, प्लॉट नंबर 91, सेक्टर  
- 44, गुडगाँव (हरयाणा) - 122003,  
भारत  
फोन: +91 124 4752000, 4752100

डॉन बॉस्को फॉर माइगरेंट्स,  
डॉन बॉस्को नेशनल फोरम फॉर द यंग एट  
रसिक,  
C 991, सेक्टर-7,  
दवारका, नई दल्ली - 110077  
खुलने के दिन और समय: सेवाएं 24 घण्टे  
उपलब्ध हैं।  
वेबसाइट: [dbyarforum.org](http://dbyarforum.org)  
टेलीफोन: +91 9443394655  
राष्ट्रीय हेल्पलाइन: +91 9642372372  
(रसेप्शन 11 भाषाओं में उपलब्ध है)

## 8 एक नजर में

### वापसी से पहले ककए जाने वाले उपाय

- जमवन अवधकाररयों से दस्तावेजों का अनुरोध करें वजनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है।
- पररवार के सदस्यों के साथ वापसी का समन्वय।
- प्रवास के दौरान प्राप्त वशक्षा / व्यावसावयक कौशल के प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), कायव / रोजगार का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो), वनरोध केंद्र में वबताए गए समय का प्रमाण पत्र (यकद कोई हो तो) का अनुरोध करें।
- आरोग्य प्रमाण पत्र या वचककत्सा पची (यकद कोई हो तो)।
- हवाई अड्डे पर आगमन और आगे की यात्रा के संबंध में वनमनवलवखत जानकारी पर ध्यान दें:
- यकद ककसी को छोटे शहर में जाना है, तो कम लागत वाली एयरलाइनों से उन जगहों का संपकव नहीं भी हो सकता है। भारतीय एयरलाइस या जेट एयरवेज जैसी प्रमुख एयरलाइस पर वनभवर रहना पड़ सकता है।
- ककसी बड़े शहर के बलए उड़ान भरना और ट्रेन लेना उवचत हो सकता है। रेलवे के रटकट अवधकांश रेलवे स्टेशनों पर काउंटरों के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट: [www.indianrail.gov.in](http://www.indianrail.gov.in)
- रटकट बुककग: [www.irctc.co.in](http://www.irctc.co.in)

### आगमन पर तुरंत ककए जाने वाले उपाय

- वैध आईडी के बलए आवेदन करना।
- खाते में (पूँजी) पंजीकरण के ववषय में वनमन जानकारी लेना;
- भारतीय नागररकों को ककसी भी प्रावधकरण के साथ ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आगमन पर इमीग्रेशन बयूरो हवाई अड्डे पर एक संवक्षप्त साक्षात्कार कर सकता है।
- पेशन बीमा / कमवचारी पेशन योजनाएं आमतौर पर वनयोगियों (रोजगार देने वाले) दवारा प्रदान की जाती हैं। यकद कोई पहले से ही पंजीकृत है, तो ककसी भी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- स्वास्थ्य बीमा एक प्रीवमयम के भुगतान पर उपलब्ध है (देखें “हेल्थकेयर” अनुभाग)। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं आमतौर पर केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बलए होती हैं।
- उस क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं को समझने के बलए स्थानीय ग्राम सतरीय प्रशासनक इकाई (ग्राम पंचायत), खंड ववकास अवधकारी या वजला मवजस्ट्रेट कायावलय से संपकव करें।
- रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के बलए रोजगार वेबसाइटों / स्थानीय रोजगार वववनमय पर नामाकन।
- कौशल उन्नयन के बलए भारत सरकार दवारा चल रहे कौशल ववकास कायवक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें।